न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 4367 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

भंवरलाल पुत्र श्री मोहनलाल चौधरी, 405 प्रथम सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(2) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 3432 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

पुखराज पुत्र श्री मांगीलाल माहेश्वरी, सिवांची दरवाजे के पास, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री प्रमिल कुमार माथुर, सदस्य

उपस्थित :

1- श्री आर. के. गुप्ता, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी

2- श्री अजीत लोढा, अभिभाषक अप्रार्थी :- (प्रकरण संख्या-4367/99)

3- श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक अप्रार्थी :- (प्रकरण संख्या-3432/2000)

दिनांक : 11 मई, 2012

निर्णय

1- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षिप्त में अधिनियम) की धारा-9 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी, कृषि भूमि रूपान्तरण, जोधपुर के निर्णय दिनांक 3-10-1989 से व्यथित होकर राजस्थान सरकार ने उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं,

जिनके सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से हैं कि ग्राम एवं जिला जोधपुर के खसरा संख्या-771 की राजकीय कृषि भूमि में प्राधिकृत अधिकारी ने बिना किसी क्षेत्राधिकार के विवादित आराजी के रूपान्तरण के आदेश पारित कर दिये । जिनसे व्यथित होकर राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत अपीलें विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने परिसीमा के प्रश्न पर ही दिनांक 12-6-1990 को निरस्त कर दी । अतः राजस्थान सरकार ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-9 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा-5 परिसीमा अधिनियम की याचना सहित प्रस्तुत किये हैं ।

2- चूंकि उपरोक्त दोनों प्रकरण समान तथ्य एवं समान प्रकृति पर आधारित हैं, अतः उपरोक्त समस्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से सम्मिलित रूप से किया जा रहा है ।

3- मैंने हस्तगत् प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

4- विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रार्थी का सारतः कथन है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है जो रूपान्तरण आदेश के पूर्व ही नगर सुधार न्यास को हस्तान्तरित कर दी गयी थी । विवादित आराजी के संबंध में रूपान्तरण आदेश प्रदान करने का अधिकार मात्र नगर सुधार न्यास को ही है । लेकिन इसके उपरान्त भी प्राधिकृत अधिकारी ने अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि का रूपान्तरण का अधिकार नहीं होते हुये भी अवैधानिक रूप से रूपान्तरण आदेश पारित किये हैं । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने भी परिसीमा के तकनीकी आधार पर ही अपील निरस्त कर दी है जबकि पूर्णतया अवैध रूप से पारित आदेश को तकनीकी आधार पर ही निस्तारित नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना चाहिये । विद्वान राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित स्वीकार किया जाकर समस्त आलोच्य निर्णय अपास्त किये जावें ।

5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। अधिनियम में वैकल्पिक उपचार प्राप्त होने पर अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । यदि अपील परिसीमा के बिन्दु पर निस्तारित की जाती है तो भी अपील गुणावगुण पर निर्णीत ही मानी जाती है ।

अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

(1) 2004 आर.आर.डी. पृष्ठ-687
(2) 2005 डब्ल्यू.एल.सी. (यू.सी.) पृष्ठ-54
(3) 2005(2) आर.एल.डब्ल्यू. (आर.जे.) पृष्ठ-30 एवं 119
(4) 2007(2) आर.एल.डब्ल्यू. (आर.जे.) पृष्ठ-172
(5) 2009(2) आर.आर.टी. पृष्ठ-1094
(6) 2007 आर.बी.जे. पृष्ठ-52
(7) ए.आई.आर. 1966 (एस.सी.) पृष्ठ-1332
(8) ए.आई.आर. 2005 (एस.सी.) पृष्ठ-226

6- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया ।

7- पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगोचर होती है कि विवादित आराजी जिनके संबंध में रूपान्तरण आदेश पारित किये गये हैं । वह आदेश राजकीय भूमि से संबंधित है एवं विवादित आराजी के अप्रार्थी अभिलिखित खातेदार नहीं है । यह भी सुस्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश पारित करने के लगभग नौ-दस वर्ष पश्चात उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं कि रूपान्तरण आदेश जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राधिकृत अधिकारी में निहित नहीं था । चूंकि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है एवं परिसीमा के तकनीकी बिन्दु पर गुणावगुण पर आधारित किसी भी प्रकरण की उपेक्षा किया जाना विधिसम्मत नहीं है । हस्तगत् प्रकरण में अंतर्वलित विषय वस्तु रूपान्तरण के अवैध कृत्य से संबंधित है । अतः ऐसे प्रकरणों में पूर्णतया तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना न्यायोचित है । निष्कर्षतः राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है ।

8- पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी जिलाधीश, जोधपुर के आदेश दिनांक 3-3-1978 के द्वारा नगर सुधार न्यास, जोधपुर को हस्तान्तरित कर दी गयी थी तथा नगर सुधार न्यास को कब्जा भी सुपुर्द कर नगर सुधार न्यास के पक्ष में नामान्तरकरण दिनांक 23-3-1983 को किया जा चुका था। चूंकि रूपान्तरण आदेश पारित करने की दिनांक को विवादित आराजी का हित नगर सुधार न्यास में निहित था एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 के अनुसार नगर सुधार न्यास में निहित भूमि का निस्तारण मात्र नगर सुधार न्यास द्वारा ही किया जा सकता है । अतः प्राधिकृत अधिकारी को विवादित आराजी का रूपान्तरण करने का क्षेत्राधिकार नहीं था।

9- इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार अप्रार्थी नहीं थे, मारवाड़ राज्य के गैर बापीदार होने के आधार पर सक्षम प्राधिकारी से खातेदारी भी प्राप्त नहीं की गयी है जिस तथ्य को स्वयं प्राधिकृत अधिकारी ने आलोच्य निर्णय के पृष्ठ संख्या-4 पर स्वीकार कर विवादित आराजी को राजकीय भूमि माना है अर्थात रूपान्तरण के आदेश पारित करते समय विवादित आराजी राजकीय भूमि के रूप में दर्ज थी । अतः प्राधिकृत अधिकारी को नगर सुधार न्यास में निहित राजकीय भूमि पर रूपान्तरण का अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण निश्चित एवं सुस्पष्ट रूप से प्राधिकृत अधिकारी ने विद्यमान प्रचलित विधि की उपेक्षा कर पूर्णतया अवैधानिक एवं बिना किसी क्षेत्राधिकारिता के आलोच्य आदेश अनुचित रूप से पारित किये हैं ।

10- यह सुस्थापित विधि है कि राजस्व मण्डल अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निष्पादित न्यायिक कार्यो पर सामान्य अधीक्षण की शक्तियां रखती है तथा अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का विधिक परीक्षण एवं सम्यक् मूल्यांकन भी असाधारण परिस्थिति में राजस्व मण्डल के द्वारा किया जा सकता है एवं उक्त परिस्थिति में जानकारी के पश्चात कानून के प्रतिकूल पारित आदेश में शुद्धि करना अथवा उसे परिवर्तित करने का अधिकार राजस्व मण्डल को है ।

11- मेरे मत की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित निम्न न्यायिक दृष्टांतों से भी होती है :-

1- 1993 आरआरडी पृष्ठ-598 (सुन्दरपाल सिंह बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य)

2- 1990 आरआरडी पृष्ठ-1 (रघुवीर सिंह बनाम राजस्व मण्डल)
3- 1993 आर.आर.डी. पृष्ठ-193 (नंदकिशोर व अन्य बनाम गोपाल व अन्य)

12- अतः हस्तगत् प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा-9 में राजस्व मण्डल को निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

13- उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचन के परिप्रेक्ष्य में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से उन्हें कोई अवलम्बन प्राप्त नहीं होता है।

14- निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में पारित रूपान्तरण आदेश दिनांक 3-10-1989 निरस्त किये जाते है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रमिल कुमार माथुर)
सदस्य